"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 अप्रैल 2023 — चैत्र 20, शक 1945

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 मार्च 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–30/2019/कौ.वि./42.— छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 17 सन् 2013) की धारा 27 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (लाईवलीहुड कॉलेजों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम, 2023 एतद् द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जाती है। अर्थात् :–

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (लाईवलीहुड कॉलेजों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम, 2023

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति एवं प्रारंभ

1.1. ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (लाईवलीहुड कॉलेजों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम, 2023 कहलायेंगे।

1.2. ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य शासन के लाईवलीहुड कॉलेजों में दिये जाने वाले व्यवसायिक प्रशिक्षणों पर लागू होंगे।

1.3. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. लाईवलीहुड कॉलेजों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

2.1. लाईवलीहुड कॉलेजों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, निगमों, मंडलों, आयोगों आदि के अनुरोध पर व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

2.2. आवश्यक होने पर लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा अपने परिसर के बाहर भी किसी उपयुक्त स्थान पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

2.3. लाईवलीहुड कॉलेजों में उपलब्ध प्रशिक्षकों एवं उपकरणों मशीनों आदि के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। साथ ही संबंधित विभागों, उपक्रमों, निगमों, मंडलों, आयोगों आदि द्वारा भी प्रशिक्षकों, मशीनरी एवं कच्चे माल आदि की व्यवस्था की जा सकेगी।

2.4. प्रशिक्षण के लिये लाईवलीहुड कॉलेज में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

2.5. प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों के आवास के लिये लाईवलीहुड कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

2.6. प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) कोर्स के मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा।

2.7. आवश्यक होने पर छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा NSQF में नवीन पाठ्यक्रम/कोर्स भी अनुमोदित कराये जा सकेंगे।

2.8. प्रशिक्षण की अवधि पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुरुप निर्धारित की जावेगी। प्रशिक्षकों का चयन प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कोर्स के लिये आवश्यक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जायेगा। विभाग एवं उद्योगों के विषय विशेषज्ञों को भी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर प्रशिक्षक के रूप में रखा जा सकता है।

2.9. बाज़ार मांग के अनुरूप एक से अधिक कौशल अर्जित करने के लिये मल्टीस्किल कोर्स में भी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

2.10. एक बैच में 10 से कम एवं 40 से अधिक प्रशिक्षणार्थी नहीं रखे जायेंगे। सुविधा की दृष्टि से 20 प्रशिक्षणार्थियों को एक यूनिट माना जावेगा।

3. लाईवलीहुड कॉलेजों में आयोजित प्रशिक्षणों पर व्यय

3.1. लाईवलीहुड कॉलेजों में आयोजित प्रशिक्षणों पर व्यय अनुसूची–1 के अनुसार मान्य होगा।

3.2. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अनुसूची–1 को संशोधित कर सकेगा।

3.3. विशेष प्रकरणों में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को अनुसूची–1 में दिये गये व्यय में 15% तक की वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

3.4. स्पांसर करने वाले विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल, आयोग आदि के पास यदि प्रशिक्षण मद में राशि उपलब्ध हो, तो वे लाईवलीहुड कॉलेज को प्रशिक्षण के लिये अनुसूची–1 के अनुसार राशि प्रदान कर सकेंगे।

3.5. इन प्रशिक्षणों पर डी.एम.एफ., सी.एस.आर. आदि की राशि भी अनुसूची–1 के अनुसार व्यय की जा सकेगी, जो संबंधित ज़िला कलेक्टर द्वारा लाईवलीहुड कॉलेज को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

3.6. लाईवलीहुड कॉलेज के लिए निर्धारित प्रशिक्षण फीस में आवास, भोजन, प्रशिक्षण व्यय, मशीन का रेंटल/लागत, कच्चे माल की लागत, प्रशिक्षकों का वेतन/मानदेय आदि सभी कुछ शामिल होगा। फीस के अतिरिक्त अन्य कोई राशि नही दी जावेगी।

3.7. प्रशिक्षणार्थियों को रु 1,000/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति (Stipend) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से दी जायेगी।

4. फीस भुगतान की प्रक्रिया

4.1. फीस का भुगतान संबंधित लाईवलीहुड कॉलेज को प्रतिमाह किया जायेगा।

4.2. जिस माह में जितने प्रशिक्षणार्थियों की कम से कम 80% उपस्थिति संबंधित संस्था द्वारा प्रमाणित की जायेगी, उतने ही प्रशिक्षणार्थियों की फीस का उस माह भुगतान किया जायेगा।

4.3. प्रशिक्षण फीस एवं छात्रवृत्ति उन्ही हितग्राहियों के लिये देय होगी जिनकी उपस्थिति संबंधित लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा कम से कम 80% प्रमाणित की जावेगी।

5. लाईवलीहुड कॉलेजों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाणीकरण

5.1. लाईवलीहुड कॉलेजों में आयोजित प्रशिक्षणों के प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा NSQF मापदण्डों अनुसार लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा ली जायेगी।

5.2. मूल्यांकनकर्ता का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। शासकीय संस्थाओं जैसे पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई, अन्य शासकीय विभाग, उद्योगों तथा निजी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को भी अनुभव एवं योग्यता के आधार पर मूल्यांकनकर्ता बनाया जा सकेगा।

5.3. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रथम परीक्षा में असफल (Fail) हो जाता है, तो उसे एक बार और परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जायेगा।

5.4. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जावेगा ।

6. लाईवलीहुड कॉलेजों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के प्रशिक्षणार्थियों को रोज़गार

6.1. राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों, निगमों, मंडलों, आयोगों आदि के अनुरोध पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व उनसे यह जानकारी प्राप्त की जावेगी, कि प्रशिक्षण के उपरांत किन योजनाओं में स्व–रोज़गार प्राप्त होगा और प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को यह जानकारी उपलब्ध करायी जावेगी।

6.2. संबंधित विभागों, उपक्रमों, निगमों, मंडलों, आयोगों आदि से यह वादा लिया जावेगा, कि प्रशिक्षण प्राप्त होने के पश्चात् वे स्व–रोज़गार के लिये प्रशिक्षणार्थियों की सब संभव सहायता करेंगे।

6.3. केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रशिक्षण में शामिल किया जावेगा जो इन योजनाओं के अंतर्गत स्व–रोज़गार के इच्छुक हैं।

6.4. प्रशिक्षण के अंतिम सप्ताह में संबंधित विभागों, उपक्रमों, निगमों, मंडलों, आयोगों आदि द्वारा स्व–रोज़गार के लिए बैंक ऋण, सब्सिडी आदि के लिये आवश्यक सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराई जावेंगी, जिससे प्रशिक्षण के तत्काल बाद प्रशिक्षणार्थी अपना स्व–रोज़गार स्थापित कर सकें।

7. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा मॉनीटरिंग

7.1. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण प्रशिक्षणों एवं उसके उपरांत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्थापित स्वरोज़गार की नियमित मॉनीटरिंग करेगा और इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

अनुसूची– 1
(देखिये विनियम – 3)

प्रशिक्षण पर मान्य मासिक व्यय

क्र.	विवरण	गणना	प्रतिमाह राशि
1.	20 प्रशिक्षणार्थियों का आवासीय एवं भोजन व्यय	350 रू. प्रति हितग्राही प्रति दिवस की दर से प्रति हितग्राही राशि रू. 10500/–प्रतिमाह	2,10,000/–
2	02 प्रशिक्षकों हेतु मासिक मानदेय	1000 रू. प्रति प्रशिक्षक प्रति दिवस की दर से 30,000/–प्रतिमाह	60,000/–
3	20 प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति (Stipend)	प्रति हितग्राही राशि रू. 1000/– प्रतिमाह	20,000/–
4	कच्चे माल की व्यवस्था हेतु	500 रू. प्रतिमाह प्रति हितग्राही	10,000/–
5	मशीनरी हेतु लागत / रेंटल	प्रति हितग्राही 1,000 रुपये प्रतिमाह	20,000/–
6	अन्य आकस्मिक व्यय	रु 200/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह	4,000/–
कुल			3,24,000/–

मॉनीटरिंग व्यय

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण प्रति हितग्राही रु 400/– तक मॉनीटरिंग एवं व्यय कर सकेगा।

मूल्यांकन व्यय

प्रशिक्षण पूर्ण होने पर मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकनकर्ता को मानदेय राशि प्रति हितग्राही रू. 150/– देय होगी।

टीप –

1. प्रशिक्षण अवधि एक माह से कम अथवा अधिक होने की स्थिति में प्रशिक्षण राशि की गणना यथानुपात (Pro rata Basis) के आधार पर की जायेगी।

2. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 20 से कम अथवा अधिक होने की स्थिति में अनुसूची के बिन्दु क्रमांक 1, 3, 4, 5 एवं 6 की गणना यथानुपात (Pro rata Basis) के आधार पर की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव अहिरे, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 29th March 2023

NOTIFICATION

No. F 10-30/2019/S.D./42.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training by Livelihood Colleges) Regulations, 2023 is hereby published for information of the public, namely :-

Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training by Livelihood Colleges) Regulations, 2023

1. Short title, application and commencement

1.1. These regulations may be called the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training by Livelihood Colleges) Regulations, 2023.

1.2. These regulations will be applicable to the vocational training imparted in the Livelihood Colleges of Chhattisgarh State Government.

1.3. These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Vocational Training in Livelihood Colleges

2.1. Vocational training will be organized in Livelihood Colleges on the request of various departments, Undertakings, Corporations, Boards, and Commissions etc. of the State Government.

2.2. If necessary, vocational training can be imparted by the Livelihood Colleges at any suitable place outside their premises.

2.3. Training can be imparted through trainers, equipment and machines etc. available in Livelihood Colleges. In addition, concerned departments, undertakings, corporations, boards, and commissions etc. can also arrange trainers, machinery, and raw materials etc. for the training.

2.4. Space will be made available for training in Livelihood Colleges.

2.5. Hostel facility will be made available in the Livelihood College for the accommodation of trainees and trainers.

2.6. The training will be conducted according to the National Skill Qualification Framework (NSQF) standards.

2.7. If required, NSQF based new courses can also be approved by Chhattisgarh State Skill Development Authority.

2.8. The duration of the training will be determined according to the course / syllabus. Selection of the trainers will be based on the qualification and experiences required for the prescribed course for training. Subject matter experts from the departments and industries can also be considered as trainers based on their qualification and experience.

2.9. To acquire more than one skill as per the market demand, training can also be imparted in multi-skilling courses.

2.10. Each batch will not have less than 10 and more than 40 trainees, for the sake of convenience, 20 trainees will be considered as a unit.

3. Expenditure on trainings organized in Livelihood Colleges

3.1. Expenditure on training organized in Livelihood Colleges will be admissible as per Schedule-1.

3.2. The Chhattisgarh State Skill Development Authority may amend Schedule-1 by issuing a notification in the official Gazette of the state.

3.3. In special cases, the Chhattisgarh State Skill Development Authority has the authority to approve an increase of up to 15% in the expenditure mentioned in Schedule-1.

3.4. If funds are available with the sponsoring department, undertaking, corporation, board, commission etc. then they can provide the funds to the Livelihood College for training as per Schedule-1.

3.5. The amount of DMF, CSR etc. can also be spent on these trainings as per schedule-1, which can be made available to the Livelihood College by the concerned District Collector.

3.6. The training fee fixed for the Livelihood College will include accommodation, food, training expenses, rental/cost of machine, cost of raw material, salary/remuneration of trainers etc. No additional amount will be given other than the training fee.

3.7. Trainees will receive a monthly stipend of Rs.1000/- directly through DBT by Chhattisgarh State Skill Development Authority.

4. Fee Payment Process

4.1. The fee will be paid monthly to the concerned Livelihood College.

4.2. The fees will be paid for the month in which at least 80% attendance of the relevant trainees is certified by the concerned institution.

4.3. Training fees and stipend will be payable only to those beneficiaries who are having at least 80% attendance certified by the concerned Livelihood College.

5. Certification of trainees in trainings organized by Livelihood Colleges

5.1. The examination of the trainees will be organized by the Livelihood College as per the NSQF standard in Livelihood Colleges itself.

5.2. The assessors will be determined by the Chhattisgarh State Skill Development Authority. Government Institutions, such as Polytechnics, ITIs, other Government Departments, Industries and subject matter expert from private sector can also be made as assessors based on their experience and qualification.

5.3. If a trainee fails in the first examination, he/she will be given one more opportunity to appear in the examination.

5.4. Trainees who pass the examination will be given a certificate by the Chhattisgarh State Skill Development Authority.

6. Employment to the trainees of the trainings organized by the Livelihood Colleges

6.1. Upon request of the Departments, Undertakings, Corporations, Boards, Commissions etc. of the State Government, before starting the vocational training, information will be obtained from the concerned departments about the schemes in which self-employment will be available post completion of training and this information will be given to the trainees before start of the training.

6.2. The concerned departments, undertakings, corporations, boards, commissions etc. will make a promise to provide all possible assistance to the trainees for self-employment after they have completed their training.

6.3. This Scheme will exclusively comprise those beneficiaries, who are willing to get self-employed under these schemes.

6.4. In the last week of the training, all the formalities required for bank loans and subsidies etc. for self-employment will be completed by the concerned departments, undertakings, corporations, boards, commissions etc., so that the trainees can establish their self-employment immediately after the completion of training.

7. Monitoring by Chhattisgarh State Skill Development Authority

7.1. Chhattisgarh State Skill Development Authority will regularly monitor the trainings and subsequent self-employment set up by the trainees and will publish an annual report on the same.

SCHEDULE-1
(See Regulation-3)

Admissible monthly expenditure on training

S. No.	Description	Calculation	Amount per month
1	Residential and food expenses of 20 trainees	The amount for each trainee is Rs. 10,500/- per month calculated at the rate of Rs. 350 per day per trainee / beneficiary.	2,10,000/-

2	Monthly remuneration for 02 trainers	The amount for each trainer is Rs. 30,000/- per month calculated at the rate of Rs. 1000 per day per trainer	60,000/-
3	Stipend to 20 trainees	Rs.1000 per month per beneficiary	20,000/-
4	Arrangement of Raw materials	Rs.500 per month per beneficiary	10,000/-
5	Cost / Rental of Machinery	Rs.1000 per month per beneficiary	20,000/-
6	Other contingencies	Rs.200 per month per beneficiary	4,000/-
Total			3,24,000/-

Monitoring Cost

Chhattisgarh State Skill Development Authority can spend up to Rs. 400/- per beneficiary on monitoring.

Assessment Cost

On completion of training, the assessor will be paid an honorarium of Rs.150/- per beneficiary for assessment.

Note -

1. In case the training period is less than or more than one month, the training amount will be calculated on pro rata basis.
2. In case the number of trainees is less than or more than 20, the calculation for point number 1, 3, 4, 5 and 6 in the schedule will be done on the pro rata basis.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJEEV AHIRE, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 मार्च 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–30/2019/कौ.वि./42.— छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 17 सन् 2013) की धारा 27 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (उद्योगों द्वारा रोज़गार की गारंटी के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम, 2023 एतद् द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जाती है। अर्थात् :–

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (उद्योगों द्वारा रोज़गार की गारंटी के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम, 2023

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति एवं प्रारंभ

1.1. ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (उद्योगों द्वारा रोज़गार की गारंटी के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम, 2023 कहलायेंगे।

1.2. ये विनियम उद्योगों द्वारा रोज़गार की गारंटी के साथ दिये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षणों पर लागू होंगे।

1.3. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. उद्योगों द्वारा रोज़गार की गारंटी के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण

2.1. छत्तीसगढ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण राज्य के भीतर एवं बाहर स्थापित उद्योगों के साथ आपसी बातचीत एवं सहमति (Negotiation) से ऐसे उद्योगों का चयन करेगा, जो अपने उद्योग में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने तथा प्रशिक्षण के पश्चात् रोज़गार देने के लिये तैयार हों।

2.2. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ऐसे उद्योगों के साथ अनुबंध करेगा जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले कम से कम 80% प्रशिक्षणार्थियों को अपने उद्योग में रोज़गार देने का आश्वासन देंगे।

2.3. प्रशिक्षण पूरी तरह आवासीय होगा तथा प्रशिक्षण, आवास, भोजन, मूल्यांकन आदि की पूरी व्यवस्था संबंधित उद्योग द्वारा की जायेगी।

2.4. प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) कोर्स के मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा।

2.5. आवश्यक होने पर छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा NSQF में नवीन पाठ्यक्रम/कोर्स भी अनुमोदित कराये जा सकेंगे।

2.6. प्रशिक्षण की अवधि पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुरुप निर्धारित की जावेगी।

2.7. प्रशिक्षकों का चयन प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कोर्स के लिये आवश्यक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जायेगा। उद्योगों के विषय विशेषज्ञों को भी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर प्रशिक्षक के रूप में रखा जा सकता है।

2.8. एक बैच में 10 से कम एवं 40 से अधिक प्रशिक्षणार्थी नहीं रखे जायेंगे। सुविधा की दृष्टि से 20 प्रशिक्षणार्थियों को एक यूनिट माना जावेगा।

3. प्रशिक्षण प्रदाता उद्योग के साथ अनुबंध

3.1. जो उद्योग इन विनियमों का पालन करते हुए प्रशिक्षण देने के लिये सहमत होगें, उनके साथ छत्तीसगढ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा अनुबंध किया जायेगा।

3.2. अनुबंध में इन नियमों के पालन हेतु आवश्यक सभी शर्तें अनिवार्य रूप से रखी जायेंगी।

4. प्रशिक्षण की फीस,यात्रा व्यय एवं छात्रवृति (Stipend)

4.1. उद्योगों में आयोजित प्रशिक्षणों पर व्यय अनुसूची–1 के अनुसार मान्य होगा।

4.2. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अनुसूची–1 को संशोधित कर सकेगा।

4.3. उद्योग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण फीस में आवास, भोजन, प्रशिक्षण व्यय, मशीन का रेंटल /लागत, कच्चे माल की लागत, प्रशिक्षकों का वेतन /मानदेय आदि सभी कुछ शामिल होगा । फीस के अतिरिक्त अन्य कोई राशि नही दी जावेगी।

4.4. संबंधित उद्योग के साथ आपसी बातचीत एवं सहमति (Negotiation) से, प्रति हितग्राही प्रतिमाह फीस निर्धारित की जावेगी। निर्धारित फीस छत्तीसगढ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा वहन की जावेगी और सीधे प्रशिक्षण प्रदाता उद्योग को प्रदाय की जावेगी। फीस की अधिकतम सीमा अनुसूची–1 के अनुसार होगी।

4.5. प्रशिक्षणार्थियों को रु 1,000/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति (Stipend) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से दी जायेगी।

4.6. प्रशिक्षण फीस एवं छात्रवृत्ति उन्ही हितग्राहियों के लिये देय होगी जिनकी उपस्थिति संबंधित उद्योग द्वारा कम से कम 80% प्रमाणित की जावेगी।

4.7. प्रशिक्षण में शामिल होने वाले हितग्राहियों को एक बार अपने निवास स्थान से प्रशिक्षण स्थल तक आने एवं जाने,रेल की द्वितीय श्रेणी अथवा बस से वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित उद्योग द्वारा प्रमाणित करने पर छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से की जायेगी।

5. फीस भुगतान की प्रक्रिया

5.1. फीस का भुगतान संबंधित उद्योग को प्रतिमाह किया जायेगा।

5.2. जिस माह में जितने प्रशिक्षणार्थियों की कम से कम 80% उपस्थिति संबंधित उद्योग द्वारा प्रमाणित की जायेगी, उतने ही प्रशिक्षणार्थियों की फीस का उस माह भुगतान किया जायेगा।

5.3. अंतिम माह की फीस का भुगतान तभी किया जायेगा जब संबंधित उद्योग द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुरूप मूल्यांकन में सफल प्रशिक्षणार्थियों के कम से कम 80% को रोज़गार प्रदान कर दिया गया हो।

6. प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाणीकरण

6.1. उद्योगों में आयोजित प्रशिक्षणों के प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा NSQF मापदण्डों अनुसार उद्योगों द्वारा ली जायेगी।

6.2. मूल्यांकनकर्ता का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। शासकीय संस्थाओं, जैसे पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई, अन्य शासकीय विभाग, उद्योगों तथा निजी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को भी अनुभव एवं योग्यता के आधार पर मूल्यांकनकर्ता बनाया जा सकेगा।

6.3. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रथम परीक्षा में असफल (Fail) हो जाता है, तो उसे एक बार और परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जायेगा।

6.4. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जावेगा।

7. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा मॉनीटरिंग

7.1. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, प्रशिक्षणों एवं प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्राप्त रोज़गार की नियमित मॉनीटरिंग करेगा और इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

अनुसूची–1
(देखिये विनियम 4.3)

प्रशिक्षण पर मान्य मासिक व्यय

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण एवं रोजगार देने के इच्छुक उद्योग के साथ आपसी बातचीत एवं सहमति (Negotiation) के आधार पर प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह प्रशिक्षण फीस का निर्धारण किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रूपए 18000/– होगी।

स.क्र.	उद्योग का प्रकार	विवरण	अधिकतम मासिक फीस
1	कृषि सह उत्पाद आधारित उद्योग	कृषि आधारित उद्योग, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उद्योग, कुक्कुट इत्यादि	18,000
2	उत्पादन आधारित उद्योग	ऑटो मोबाइल, उत्पादन एवं विनिर्माण आधारित उद्योग इलेक्ट्रिकल उपकरण,प्लास्टिक उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग, कपास, कपड़ा एवं वस्त्र, लोहा एवं इस्पात उत्पादन, सीमेंट उद्योग, विद्युत उद्योग, खनन आदि।	18,000
3	सेवा आधारित उद्योग	आईटी सेवाएं, हास्पिटैलिटी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विपणन एवं बिक्री सेवाएं, ग्राहक सेवाएं, ब्यूटी एण्ड वैलनेस, मीडिया एवं मनोरंजन आदि।	18,000

मॉनीटरिंग व्यय

छत्तीगसढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण प्रति हितग्राही राशि रूपए 400/– तक मॉनीटरिंग व्यय कर सकेगा।

मूल्यांकन व्यय

प्रशिक्षण पूर्ण होने पर मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकनकर्ता को मानदेय राशि प्रति हितग्राही राशि रूपए 150/– होगी।

टीप –प्रशिक्षण अवधि एक माह से कम अथवा अधिक होने की स्थिति में प्रशिक्षण राशि की गणना यथानुपात (Pro rata Basis) के आधार पर की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव अहिरे, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 29th March 2023

NOTIFICATION

No. F 10-30/2019/S.D./42.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training with Guarantee of Employment by Industries) Regulations, 2023 is hereby published for information of the public, namely :-

Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training with Guarantee of Employment by Industries) Regulations, 2023

1. Short title, application and commencement

1.1. These regulations may be called the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training with Guarantee of Employment by Industries) Regulations, 2023.

1.2. These regulations will apply to vocational training provided by Industries with guaranteed employment.

1.3. These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Vocational training by industries with guaranteed employment

2.1. Chhattisgarh State Skill Development Authority will select such industries established within and outside the state through mutual negotiation and agreement, industries which are willing to provide training to the youth of the Chhattisgarh state in their industries and are ready to provide employment after training completion.

2.2. The Chhattisgarh State Skill Development Authority will tie up with such industries which will assure employment in their industry of at least 80% of the trainees who successfully complete the training.

2.3. The training will be fully residential and the entire arrangement for training, accommodation, food, etc. will be arranged by the concerned industry.

2.4. The training will be conducted according to the National Skill Qualification Framework (NSQF) standards.

2.5. If required, NSQF based new courses can also be approved by Chhattisgarh State Skill Development Authority.

2.6. The duration of the training will be determined according to the course / syllabus.

2.7. Selection of the trainers will be based on the qualification and experiences required for the prescribed course for training. Subject matter experts from the departments and industries can also be considered as trainers based on their qualification and experience.

2.8. Each batch will not have less than 10 and more than 40 trainees, for the sake of convenience, 20 trainees will be considered as a unit.

3. Contract with Training Provider Industry

3.1. Chhattisgarh State Skill Development Authority will enter contract with those industries who agree to provide training following these regulations.

3.2. All the conditions necessary for the compliance of these rules will be compulsorily kept in the contract.

4. Training Fee, Travel Expenses and Stipend

4.1. Expenditure on training organized in industries will be admissible as per Schedule-1.

4.2. The Chhattisgarh State Skill Development Authority may amend Schedule-1 by issuing a notification in the official Gazette of the state.

4.3. The training fee as fixed by the industry will include accommodation, food, training expenses, rental/cost of machine, cost of raw material, salary/honorarium of trainers etc. No additional amount will be given other than the training fee.

4.4. Through mutual discussion and agreement with the concerned industry, the fee per beneficiary per month will be determined. The prescribed fee will be borne by the Chhattisgarh State Skill Development Authority and will be provided directly to the training provider industry. The maximum limit of fee will be as per Schedule-1.

4.5. Trainees will receive a monthly stipend of Rs.1000/- directly through DBT by Chhattisgarh State Skill Development Authority.

4.6. Training fees and stipend will be payable only to those beneficiaries, who are having at least 80% attendance certified by the concerned industry.

4.7. Beneficiaries attending the training will be reimbursed the actual travel expenses by second class train or actual bus fare to and from their place of residence to the training place, only once through

DBT by the Chhattisgarh State Skill Development Authority subject to certification by the concerned industry.

5. Fee Payment Process

5.1. Fee will be paid monthly to the concerned industry.

5.2. The fees will be paid for the month in which at least 80% attendance of the relevant trainees is certified by the concerned industry.

5.3. The last month's fee will be paid only when at least 80% of the successful trainees in the assessment are placed as per the terms of the contract by the concerned industry.

6. Certification of trainees

6.1. The examination of the trainees will be organized by the industry as per the NSQF standard in industry itself.

6.2. The assessors will be determined by the Chhattisgarh State Skill Development Authority. Government Institutions, such as Polytechnics, ITIs, other Government Departments, Industries and subject matter expert from private sector can also be made as assessors based on their experience and qualification.

6.3. If a trainee fails in the first examination, he/she will be given one more opportunity to appear in the examination.

6.4. Trainees who pass the examination will be given a certificate by the Chhattisgarh State Skill Development Authority.

7. Monitoring by Chhattisgarh State Skill Development Authority

7.1. Chhattisgarh State Skill Development Authority will regularly monitor the trainings and subsequent employment of the trainees and will publish an annual report on the same.

SCHEDULE-1
(See Regulation- 4)

Admissible monthly expenditure on training

Chhattisgarh State Skill Development Authority will determine the monthly training fee per trainee based on negotiations and agreement with interested industries for providing training and employment. The maximum limit of this monthly fee will be Rs. 18,000/- per trainee.

Sr. No.	Type of Industry	Description	Maximum monthly fee
1.	Agro co-products based industries	Agriculture based industries, Milk production, Fisheries, Poultry etc.	18,000
2.	Production based industries	Automobile, Production and Manufacturing based industries, Electrical equipment, Plastic industry, Food processing industry, Electronics equipment industry, Cotton, Textile and Clothing, Iron and Steel production, Cement industry, Power industry, Mining etc.	18,000
3.	Service based industry	IT Services, Hospitality, Healthcare, Tourism, Banking, Finance & Insurance, Marketing & Sales Services, Customer Services, Beauty & Wellness, Media & Entertainment etc.	18,000

Monitoring Cost

Chhattisgarh State Skill Development Authority can spend up to Rs. 400/- per beneficiary on monitoring.

Assessment Cost

On completion of training, the assessor will be paid an honorarium of Rs.150/- per beneficiary for assessment.

Note –

In case the training period is less than or more than one month, the training amount will be calculated on pro rata basis.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJEEV AHIRE, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 मार्च 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–30/2019/कौ.वि./42.— छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 17 सन् 2013) की धारा 27 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम, 2023 एतद् द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जाती है। अर्थात् :–

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम, 2023

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति एवं प्रारंभ

1.1. ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम, 2023 कहलायेंगे ।

1.2. ये विनियम राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं में व्यवसायिक प्रशिक्षणों पर लागू होंगे।

1.3. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण

2.1. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के संस्थानो जैसे इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ हेंडलूम, चांपा, सीपेट रायपुर एवं कोरबा, आई.आई.एम., आई.आई.टी., अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालाजी, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक इत्यादि में आधुनिक बाजार एवं उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों में लघु अवधि के प्रशिक्षण दिये जा सकेंगे। यह विनियम इन संस्थाओं के रेगुलर डिग्री/डिप्लोमा आदि के लिये नही हैं।

2.2. यह प्रशिक्षण आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉक चैन इत्यादि में दिये जायेंगे।

2.3. छत्तीसगढ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण राज्य के भीतर एवं बाहर संस्थाओं के साथ आपसी बातचीत एवं सहमति (Negotiation) से संस्थाओं का चयन करेगा।

2.4. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण इन संस्थाओं के साथ अनुबंध करेगा।

2.5. प्रशिक्षण पूरी तरह आवासीय होगा तथा प्रशिक्षण, आवास, भोजन, मूल्यांकन आदि की पूरी व्यवस्था संबंधित संस्थाओं द्वारा की जायेगी।

2.6. प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) कोर्स के मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा।

2.7. आवश्यक होने पर छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा NSQF में नवीन पाठ्यक्रम/कोर्स भी अनुमोदित कराये जा सकेंगे।

2.8. प्रशिक्षण की अवधि पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुरुप निर्धारित की जावेगी।

2.9. प्रशिक्षकों का चयन प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कोर्स के लिये आवश्यक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जायेगा। संस्थानो के विषय विशेषज्ञों को भी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर प्रशिक्षक के रूप में रखा जा सकता है।

2.10. एक बैच में 10 से कम एवं 40 से अधिक प्रशिक्षणार्थी नहीं रखे जायेंगे। सुविधा की दृष्टि से 20 प्रशिक्षणार्थियों को एक यूनिट माना जावेगा।

3. प्रशिक्षण की फीस, यात्रा व्यय एवं छात्रवृति (Stipend)

3.1. संस्था द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण फीस में आवास, भोजन, प्रशिक्षण व्यय, मशीन का रेंटल/लागत, कच्चे माल की लागत, प्रशिक्षकों का वेतन/मानदेय एवं आदि सभी कुछ शामिल होगा । फीस के अतिरिक्त अन्य कोई राशि नही दी जावेगी।

3.2. संबंधित संस्था के साथ आपसी बातचीत एवं सहमति (Negotiation) से, प्रति हितग्राही प्रतिमाह फीस निर्धारित की जावेगी। निर्धारित फीस छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा वहन की जावेगी और सीधे प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानो को प्रदाय की जावेगी।

3.3. प्रशिक्षणार्थियों को राशि रु 1,000/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति (Stipend) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से दी जायेगी।

3.4. प्रशिक्षण फीस एवं छात्रवृत्ति उन्ही हितग्राहियों के लिये देय होगी जिनकी उपस्थिति संबंधित संस्था द्वारा कम से कम 80% प्रमाणित की जावेगी।

3.5. प्रशिक्षण में शामिल होने वाले हितग्राहियों को एक बार अपने निवास स्थान से प्रशिक्षण स्थल तक आने एवं जाने, रेल की द्वितीय श्रेणी अथवा बस से वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था द्वारा प्रमाणित करने पर छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से की जायेगी।

4. फीस भुगतान की प्रक्रिया

4.1. फीस का भुगतान संबंधित संस्था को प्रतिमाह किया जायेगा ।

4.2. जिस माह में जितने प्रशिक्षणार्थियों की कम से कम 80% उपस्थिति संबंधित संस्था द्वारा प्रमाणित की जायेगी, उतने ही प्रशिक्षणार्थियों की फीस का उस माह भुगतान किया जायेगा।

5. प्रशिक्षणार्थियों का प्रमाणीकरण

5.1. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं में आयोजित प्रशिक्षणों के प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा NSQF मापदण्डों अनुसार संस्थाओं द्वारा ली जायेगी।

5.2. मूल्यांकनकर्ता का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। शासकीय संस्थाओं, जैसे पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई, अन्य शासकीय विभाग, उद्योगों तथा निजी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को भी अनुभव एवं योग्यता के आधार पर मूल्यांकनकर्ता बनाया जा सकेगा।

5.3. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रथम परीक्षा में असफल (Fail) हो जाता है, तो उसे एक बार और परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जायेगा।

5.4. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जावेगा।

6. मॉनीटरिंग व्यय

6.1. छत्तीगसढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण प्रति हितग्राही राशि रूपए 400/– तक मॉनीटरिंग व्यय कर सकेगा।

7. मूल्यांकन व्यय

7.1. प्रशिक्षण पूर्ण होने पर मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकनकर्ता को मानदेय राशि प्रति हितग्राही राशि रूपए 150/– होगी।

टीप–प्रशिक्षण अवधि एक माह से कम अथवा अधिक होने की स्थिति में प्रशिक्षण राशि की गणना यथानुपात (Pro rata Basis) के आधार पर की जायेगी।

8. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा मॉनीटरिंग

8.1. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, प्रशिक्षणों एवं उनके उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्राप्त रोज़गार अथवा स्वरोजगार की नियमित मॉनीटरिंग करेगा और इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव अहिरे, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 29th March 2023

NOTIFICATION

No. F 10-30/2019/S.D./42.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training in National and State Level Institutions) Regulations, 2023 is hereby published for information of the public, namely :-

Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training in National and State Level Institutions) Regulations, 2023

1. Short title, application and commencement

1.1. These regulations may be called the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training in National and State Level Institutions) Regulations, 2023.

1.2. These regulations will be applicable to vocational training in National and State Level Institutions.

1.3. These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Vocational training at National and State Level Institutions

2.1. Short term trainings on the courses according to the requirements of the modern market and industries can be organised and imparted at National and State level institutions like Indian Institute of Handloom Champa, CIPET Raipur and Korba, Indian Institute of Management Raipur, Indian Institute of Technology Bhilai, International Institute of Information Technology Raipur, National Institute of Technology Raipur, Government Engineering Colleges, and Polytechnics etc., These guidelines are not applicable for regular degree/diploma etc. of these institutions.

2.2. This training will be given in modern technology like Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things, Block Chain etc.

2.3. The Chhattisgarh State Skill Development Authority will select institutes established within and outside the state through mutual negotiation and agreement.

2.4. Chhattisgarh State Skill Development Authority will tie up with these institutions.

2.5. The training will be fully residential and the entire arrangement for training, accommodation, food etc. will be arranged by the concerned institutions.

2.6. The training will be conducted according to the National Skill Qualification Framework (NSQF) standards.

2.7. If required, NSQF based new courses can also be approved by Chhattisgarh State Skill Development Authority.

2.8. The duration of the training will be determined according to the course / syllabus.

2.9. Selection of the trainers will be based on the qualification and experiences required for the prescribed course for training. Subject matter experts from the departments and industries can also be considered as trainers based on their qualification and experience.

2.10. Each batch will not have less than 10 and more than 40 trainees, for the sake of convenience, 20 trainees will be considered as a unit.

3. Training Fee, Travel Expenses and Stipend

3.1. The training fee as fixed by the institute will include accommodation, food, training expenses, rental / cost of machine, cost of raw material, salary / honorarium of trainers etc. No additional amount will be given other than the training fee.

3.2. Through mutual discussion and agreement with the concerned institute, the fee per beneficiary per month will be determined. The prescribed fee will be borne by the Chhattisgarh State Skill Development Authority and will be provided directly to the training provider institute.

3.3. Trainees will receive a monthly stipend of Rs.1000/- directly through DBT by Chhattisgarh State Skill Development Authority.

3.4. Training fees and stipend will be payable only to those beneficiaries, who are having at least 80% attendance certified by the concerned institute.

3.5. Beneficiaries attending the training will be reimbursed the actual travel expenses by second class train or actual bus fare to and from their place of residence to the training place, only once through DBT by the Chhattisgarh State Skill Development Authority subject to certification by the concerned institute.

4. Fee Payment Process

4.1. Fee will be paid monthly to the concerned institute.

4.2. The fees will be paid for the month in which at least 80% attendance of the relevant trainees is certified by the concerned institute.

5. Certification of Trainees

5.1. The examination of the trainees will be organized by the institute as per the NSQF standard in institute itself.

5.2. The assessors will be determined by the Chhattisgarh State Skill Development Authority. Government Institutions, such as Polytechnics, ITIs, other Government Departments, Industries and subject matter expert from private sector can also be made as assessors based on their experience and qualification.

5.3. If a trainee fails in the first examination, he/she will be given one more opportunity to appear in the examination.

5.4. Trainees who pass the examination will be given a certificate by the Chhattisgarh State Skill Development Authority.

6. Monitoring Cost

6.1 Chhattisgarh State Skill Development Authority can spend up to Rs. 400/- per beneficiary on monitoring.

7. Assessment Cost

7.1 On completion of training, the assessor will be paid an honorarium of Rs.150/- per beneficiary for assessment.

Note –

In case the training period is less than or more than one month, the training amount will be calculated on pro rata basis.

8. Monitoring by Chhattisgarh State Skill Development Authority

8.1 Chhattisgarh State Skill Development Authority will regularly monitor the trainings and subsequent employment or self-employment of the trainees and will publish an annual report on the same.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJEEV AHIRE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.